(30)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 278463 पटना, दिनांक 11/07/2018

ग्रा0वि0-6- बजट/05-03/2018

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-42 के तहत Bihar Transformative Development Project (BTDP)- जीविका-II अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में कुल रू0 43000.00 लाख (चार अरब तीस करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेश :- स्वीकृत ।

2. Bihar Transformative Development Project (BTDP)- जीविका-II का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को अनुदान एवं बैंक ऋण देकर तथा किसी व्यवसाय में लगाकर उनके दिन-प्रतिदिन की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि कर उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाना है । पूर्व में विश्व बैंक तथा राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 2007 में प्रारंभ BRLP (जीविका) परियोजना की अवधि अक्टूबर, 2016 में समाप्त होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 से Bihar Transformative Development Project (BTDP) परियोजना बिहार राज्य के 300 प्रखंडों में गरीबी निवारण हेतु प्रारंभ की गयी है जिसकी कालावधि छ: (06) वर्षो की है । इस कार्यक्रम पर आने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा किया जाना है ।

3. मांग संख्या-42 के तहत वित्तीय वर्ष- 2018-19 में Bihar Transformative Development Project (BTDP) जीविका-II के लिए कुल रू0 **43000.00 लाख (चार अरब तीस करोड़)** का योजना उदव्यय है एवं समतुल्य राशि का ही बजट उपबंध है ।

4. उक्त के आलोक में BTDP जीविका-II अंतर्गत सामुदायिक विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

राशि लाख रू0 में :-

क्र0 सं0	मद एवं विपत्र कोड़ (विषय शीर्ष सहित)	बजट उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 102, सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु) विपत्र कोड 42-2515001020517,31 04 सहायक अनुदान वेतन (सामुदायिक विकास मद)	12040.00	12040.00
2	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 102, सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु) विपत्र कोड 42-2515001020517,31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन (सामुदायिक विकास मद)	18060.00	18060.00

3	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु) विपत्र कोड 42- 2515007890510, 31 04 सहायक अनुदान वेतन (अनुसूचित जाति मद)	**4988.00**	**4988.00**
4	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु) विपत्र कोड 42- 2515007890510, 31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन (अनुसूचित जाति मद)	**7482.00**	**7482.00**
5	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 796, जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु) विपत्र कोड 42- 2515007960517, 31 04 सहायक अनुदान वेतन (अनुसूचित जनजाति मद)	**172.00**	**172.00**
6	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 796, जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु) विपत्र कोड 42- 2515007960517, 31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन (अनुसूचित जनजाति मद)	**258.00**	**258.00**
	कुल-	**रू0 43000.00 (चार अरब तीस करोड़)**	**रू0 43000.00 (चार अरब तीस करोड़)**

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 में BTDP जीविका-II अंतर्गत सामुदायिक विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में कुल स्वीकृत राशि **रू0 43000.00 लाख (चार अरब तीस करोड़)** की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 के तहत उपरोक्त सारणी के कॉलम 2 में अंकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जाएगी ।

6. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन पटना से की जाएगी। राशि की निकासी कर बी0आर0एल0पी0एस0 द्वारा संचालनधीन संबंधी बैंक खाते में जमा की जाएगी । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0एल0पी0एस0 इस राशि का व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग, बिहार/ महालेखाकार, बिहार एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे ।

7. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जायेगी ।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं0-2199 दिनांक-24.03.2017 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6- बजट/ 05-03/2018 के टिप्पणी पृष्ठ सं0- 16/टि0 पर दिनांक- 10.7.18 को प्राप्त है ।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं0-2199 दिनांक-24.03.2017 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार (प्रशासी विभाग) का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6- बजट/ 05-03/2018 के टिप्पणी पृष्ठ सं0- 3 /टि0 पर दिनांक- 26.5.18 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

10.7.18

(राजेश परिमल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 778462 पटना, दिनांक 11/07/2018

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव प्रधान, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

10.7.18

सरकार के उप सचिव

विभाकर